न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/238

मिसल नम्बर–73 / 2024

श्रीमति दीपिका लोवंशी पत्नी स्वर्गीय रामदयाल लोवंशी आयु 60 वर्ष निवासनी ए 70 सहारा एनक्लेव थेगड़ा रोड बोरखेडा कोटा

प्रार्थी

बनाम

1.अजय लोवंशी आत्मज स्वर्गीय रामदयाल लोवंशी
2.श्रीमती सोनी पत्नी अजय लोवंशी निवासीगण ए 70 सहारा एनक्लेव थेगड़ा रोड बोरखेडा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/5/25

उपस्थिति:–

1.श्री पृथ्वीराज सिंह शक्तावत प्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिश्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया बुजुर्ग बीमार और विधवा महिला है। सीनीयर सिटीजन है। और प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थीया को बढ़ापे में लगातार प्रताडित व परेशान किया जाता रहा है। प्रार्थीया की तीन सन्ताने है जिसमें बडी पुत्री श्रीमति ज्योति विवाहित है तथा इसके अतिरिक्त दो छोटी पुत्रियां है जो अविवाहित है। जो कि पूर्णतया प्रार्थीया पर ही आश्रित है। अप्रत्यर्थी छोटी पुत्रियों से बडा है तथा विवाहित है। दोनों मिलकर प्रार्थीया को आयेदिन नाजायज रूप से परेशान कर रहे है प्रार्थीया दूसरों के घर पर झाडू पोंछा करके अपना व अपनी बच्चीयों का पेट पालन कर रही है। लेकिन अप्रत्यर्थी कम 1 एवं 2 घर का वातावरण गृह क्लेश करते हुए लडाई झगडा करके बिगाड रहे है पहले मोटर साईकिल के लिए अप्रत्यर्थी कम–1 ने जिदद की प्रार्थीया ने ब्याज से राशि उठाकर उसकी जिदद के खातिर मोटर साईकिल दिलवायी काम धन्धा कुछ नहीं करता है फिर विवाह हेतु दबाव बनाने लगा उसका विवाह करवाया गया लेकिन विवाह कराना उल्टा पड़ गया क्योकि अप्रत्यर्थीगण दोनों प्रार्थीया पर आश्रित होकर घर में ही पड़े रहते है काम धन्धा नहीं करते है। प्रार्थीया जो भी कमाकर लाती है उसे अप्रत्यर्थीगण छीन लेते है। अप्रत्यर्थी कम–1 नशे का आदि है। जिसे रोजाना नशा चाहिए शराब का नशा हो गांजे का नशा हो चरस का नशा हो उसकी आदत बन गयी है सुबह घर से मोटर साईकिल लेकर निकल जाता है दिन भर अप्रत्यर्थी कम–2 गृह क्लेश करती है प्रार्थीया व उसकी पुत्री को डराती

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

धमकाती है मारपीट करने पर आमादा हो जाती है। यह रोजाना का कृत्य है। प्रार्थीया ने अपने जीवनकाल में एक 16 बाई 40 वर्गफुट का भूखण्ड क्रय करके मकान का निर्माण किया जिसमें दो कमरे रसोई लेट बाथ निर्मित कराये एक कमरे में प्रार्थीया अपनी दानों पुत्रियों के साथ निवास करती है दुसरे कमरे में अप्रत्यर्थीगण निवास करते है। अप्रत्यर्थीगण प्रार्थीया को व उसकी दोनों छोटी पुत्रीयों को घर से निकालने पर आमादा है ताकि मकान को खूर्द बुर्द कर सके। इसलिये अप्रत्यर्थीगण क्रम 1 शराब का सेवन करके घर में आने के बाद कभी बरतन तोडता है कभी कांच तोड़ता है कभी दरवाजे तोडता है यहां तक कि मोटर साईकिल भी तोड देता है। तथा घर का खाना बना हुआ बाहर फेंक देता है कई बार पुलिस चौकी बोरखेड़ा व थानाधिकारी बोरखेडा में उसकी शिकायत की गयी उसे कई बार शांति भंग के आरोप में बन्द किया गया लेकिन छूटने के पश्चात और ज्यादा उग्र होकर प्रार्थीया के साथ मारपीट करना बहनों के साथ मारपीट करना हमेशा भय का वातावरण बनाकर रखना जिससे प्रार्थीया काफी घबरा गयी यहां तक कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया की जान लेना चाहते है हमेशा हमेशा क लिए उसे खत्म करना चाहते है क्योकि कई बार मोका देखकर धक्का दे चुके है जिससे प्रार्थीया गिरकर घायल हो चुकी है रात के अन्धेरे में नशे की हालत में गला दबाकर मारने का प्रयास करता है जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती तथा उसमें उसकी पत्नी का पूरा पूरा सहयोग रहता है। वह चाहती है कि प्रार्थीया को मारने के बाद उसकी दोनों पुत्रियों को घर से निकालकर कब्जा हासिल कर लेगें जिससे ऐसा प्रतीत होता है यह प्रत्यर्थीगण कभी भी प्रार्थीया के साथ बड़ी घटना कर जीवन लीला समाप्त कर सकते है। इसलिये समस्त परि0 को देखते हुए प्रत्यर्थीगण को उस घर से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जावे ताकि प्रार्थीया व उसकी दोनों छोटी पुत्रियां सकुन से अपना जीवन यापन कर सके। अप्रार्थीगण पूर्व में मकान के दस्तावेजात चुराकर ले गये। और दस्तावेज किसी के पास गिरवी रखकर मोटी रकम लेकर उसे नशे में उडा दिये एक एक पाई जोडकर प्रार्थीया ने मकान के दस्तावेजात छुडवाये। अप्रार्थीगण कोशिश कर रहे है कि उक्त मकान को प्रार्थीया बेचान कर उससे राशि प्राप्त कर उसके गन्दे शोक में उठा देवे इसलिये आवश्यक हो गया है। कि अप्रार्थीगण को उक्त स्थान से बेदखल कर दिया जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये पुलिस अविलम्ब घर से निकालने के आदेश किए जाने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस हेतु उपस्थित नही हुये। अतः प्रार्थीपक्ष के प्रार्थना पत्र को ही बहस माना गया।
हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... कोटा
.... बनाम .... अन्य .... सन 2024 ....
कोटा

कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान नं0 ए 70 सहारा एनक्लेव थेगड़ा रोड बोरखेडा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं उनको मकान से बेदखल करने की कोशिश नही करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/5/25 .... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा